रणजीत टाइम्स

इंदौर

गुरुवार, 13 नवम्बर, 2025

वर्ष 01 | अंक 280 | कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

200 पावरफुल आईईडी बनाने का था बड़ा प्लान

दिल्ली ब्लास्ट केस

● एक साथ कई धमाके, फायरिंग से करना था कत्लेआम

● हरियाणा के गुरुग्राम में बना मुंबई अटैक जैसा सुरक्षा प्लान

गुरुग्राम (एजेंसी)। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए ब्लास्ट में गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हरियाणा पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इस आतंकी मॉड्यूल ने 200 से ज्यादा पावरफुल आईईडी तैयार करनी थी। इसीलिए 2900 केजी विस्फोटक के साथ टाइमर व बम बनाने वाली अन्य चीजें लाई गई थी। यह भी पता चला है कि यह आतंकी मुंबई में 26/11 हमले की तर्ज पर बड़े धमाकों की प्लानिंग में थे। जिसमें एक साथ कई शहरों में सिर्फ धमाके ही नहीं करने थे बल्कि एके-56 व एके-47

जैसी राइफल से पब्लिक प्लेस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर लोगों का कत्लेआम करना था। यही नहीं, इन्होंने हाईप्रोफाइल टारगेट्स के साथ अस्पतालों को भी निशाना बनाना था ताकि धमाके और फायरिंग की सूरत में एकदम से मेडिकल मदद न मिल सके। इससे मैक्सिमम केजुअल्टी होगी। इस खुलासे के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मुंबई हमले जैसी सिक्योरिटी तैयार कर ली है। जिसके जरिए भीड़भाड़ वाली जगहों से लेकर अस्पतालों तक की निगरानी भी बढ़ाई गई है। पुलिस जांच में पता चला कि टारगेट में कई शहर थे।

● विस्फोटक रखने के लिए बाहरी गेट वाला कमरा लिया– फतेहपुर तगा को लेकर एक और बात सामने आई है कि मुजम्मिल ने यहां खास तौर पर 2 गेट देखकर ही कमरा लिया था। इसका एक गेट बाहर तो दूसरा अंदर से खुलता था। मुजम्मिल जब सामान्य तौर पर आता तो अंदर वाले गेट से कमरे में जाता लेकिन जब वह 2563 केजी विस्फोटक रखने आया तो बाहर के गेट से रखा और वहीं से चला गया। पूछने पर इतना कहा कि खाद रखी है। जल्द इसे लेकर चले जाएंगे। जिस कार में ब्लास्ट हुआ, वह गुरुग्राम नंबर की थी। यह कार इसलिए खरीदी गई ताकि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आने-जाने में कोई शक न करे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाड़ली बहनों को 30वीं किस्त के रूप में दिये 1500 रूपये

इंदौर जिले की चार लाख 40 हजार 662 लाड़ली बहनाओं को मिले 63 करोड़ रूपये से अधिक की राशि

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में प्रदेश की बहनों से किये हुये वादे को पूरा करते हुये इस माह उनके खाते में 1500 रूपये की बड़ी हुई राशि अंतरित की। इससे

इंदौर जिले की चार लाख 40 हजार 662 लाड़ली बहनाओं को सीधा लाभ मिला है। उनके खातें में 63 करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में 30वीं किस्त के रूप में कुल 1857 करोड़ रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इंदौर जिले में सर्वाधिक दो लाख 59 हजार 128 बहनाएं इंदौर नगर निगम क्षेत्र की है। शेष बहनाएं जिले के ग्रामीण क्षेत्र और नगर परिषद क्षेत्रों की है।

हंस ट्रेवल्स में युवती के साथ हुई छेड़छाड़ और जबरदस्ती के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को ले कर विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से की मुलाकात

पत्रकार खुशबू श्रीवास्तव

पीड़ित युवती की मां के साथ पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, पार्षद प्रशांत बडवे, एडवोकेट स्वाति काशिद सहित अनेक गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित, कलेक्टर द्वारा शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन। शुक्रवार की रात मुंबई से इंदौर आते समय हंस ट्रेवल्स की बस में रास्ते में इंदौर की एक युवती के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। युवती द्वारा ड्राइवर , कंडक्टर को शिकायत करने के बाद भी ना तो बस रोकी गई ना ही छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को रोका गया। युवती की मां ने इंदौर से सेंधवा तक कार से जा कर सेंधवा में अपनी बेटी को बस से उतारा और फिर राजेंद्र नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाई।

आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और हंस ट्रेवल्स के मालिकों द्वारा भी इस संबंध में किसी तरह का सहयोग किया जा रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में मंगलवार की शाम विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने पार्षद प्रशांत बडवे के साथ कलेक्टर श्री शिवम वर्मा से मुलाकात की और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर इंदौर से पुणे, मुंबई जैसे शहरों के लिए रात्रि में बस से सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की।

पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे ने कलेक्टर महोदय को बताया कि इंदौर की हजारों बेटियां पुणे, मुंबई जैसे शहरों में नौकरी करती है और अक्सर बसों से ही सफर करती है। इस घटना के पश्चात सभी के मन में भय व्याप्त हो गया है। बेटियों के पालक भी चिंतित है और अब वे अपनी बेटियों के बस द्वारा सफर करने से घबरा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बस से सफर की समस्याओं को कलेक्टर महोदय के सामने रखा और बताया कि अनेक बार शराब पिए हुए लोगों को भी सवारी के रूप में बस में चढ़ा लिया जाता है जिससे महिला यात्री असुरक्षा महसूस करती है। कलेक्टर महोदय ने पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी बातों को सुना एवं आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने यह भी आश्वासन दिया कि बस संचालकों के साथ एक बैठक कर बस में सफर करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए जाएंगे। आपने पीड़ित युवती एवं उसकी मां के साहस की भी प्रशंसा की कि उन्होंने घटना को सबके सामने लाने का साहस दिखाया । कलेक्टर महोदय ने कहा कि इंदौर की बेटी के साथ जो घटना हुई उससे सारा शहर चिंतित है और प्रशासन सभी तरह से मदद करने को तत्पर है।

कलेक्टर महोदय से मुलाकात हेतु बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे सपत्नीक उपस्थित थे। पार्षद प्रशांत बडवे, एडवोकेट स्वाति काशिद, वीणा वर्मा, सुनील धर्माधिकारी, अशोक पाटणकर, संजीव गवते, मोहन रेडगांवकर, अपूर्व भोगले, प्रकाश पानसे , अनिल मोड़क सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

महिला पत्रकारों पर हमला-लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारिता के लिए खतरे की घंटी

पत्रकार खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य को उजागर करना और पीड़ितों की आवाज़ को ताकत देना होता है। लेकिन जब महिला पत्रकार, जो विशेष रूप से सामान्य महिलाओं, गरीब की आवाज़ उठाती हैं, वे खुद डिजिटल हिंसा और डर का शिकार बनने लगें, तो यह केवल उनके पेशे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है।

क्यों महिला पत्रकार बन रही हैं निशाना?

महिला पत्रकारों को निशाना बनाए जाने के पीछे गहरा सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य है, जो उन्हें सीमाओं में बंधे देखना चाहता है। ये पत्रकार जब न्याय और असमानता जैसे मुद्दों पर स्टोरी करती हैं, तो यह सीधे उन ताकतों को चुनौती देती है जो महिलाओं को चुप और अधीनस्थ देखना चाहते हैं। हमलावरों का मुख्य उद्देश्य महिला पत्रकारों को डराना ताकि वे संवेदनशील विषयों पर काम करना छोड़ दें। रिपोर्ट के अनुसार, तीन-चौथाई महिला पत्रकारों को ऑनलाइन हिंसा का सामना करना पड़ा है, और हर चार में से एक को शारीरिक हमले या जान से मारने की धमकी मिलीती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म अब केवल ट्रोलिंग या गालियों का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह वास्तविक हिंसा की तैयारी का मैदान बन चुका है। AI के माध्यम से महिला पत्रकारों के फर्जी वीडियो या तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं, जिससे उनका चरित्रहनन होता है। डॉक्सिंग (Doxing): उनकी निजी जानकारी (घर का पता, फ़ोन नंबर आदि) ऑनलाइन उजागर की जाती है, जिससे उनका और उनके परिवारों का असुरक्षित महसूस करना स्वाभाविक है। * लैंगिक दुष्प्रचार: यह यौन हिंसा और अपमानजनक टिप्पणियों के रूप में होता है, जिसका उद्देश्य महिला पत्रकारों को मानसिक दबाव में लाना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 की स्नैपशॉट रिपोर्ट के अनुसार, 73% महिला पत्रकारों ने ऑनलाइन हिंसा का अनुभव किया, और चौंकाने वाली बात यह है कि 20% महिला पत्रकारों को ऑनलाइन धमकियों के परिणामस्वरूप असली जीवन में हिंसा झेलनी पड़ी।

सुरक्षा नीतियाँ: मीडिया संस्थानों को महिला पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस नीतियाँ बनानी चाहिए, जिसमें कानूनी मदद, मनोवैज्ञानिक परामर्श और सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण शामिल हों। मीडिया में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य है। अगर महिला पत्रकारों को डराकर चुप करा दिया गया, तो यह केवल पत्रकारिता की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पराजय होगी। इन डिजिटल हमलावरों का डटकर सामना करना होगा, क्योंकि वे सवालों से डरते हैं, और इसीलिए चुप कराने की साजिश कर रहे हैं।

SiR के फॉर्म अभी तक बी एल ओ के पास नहीं पहुंचे हैं जिसको लेकर आज जनसुनवाई में समाजसेवी ने दिया आवेदन!

पत्रकार खुशबू श्रीवास्तव

SIR फार्म को लेकर समाज सेवी शादाब पटेल दिया कलेक्टर को ज्ञापन!

इंदौर। एक और जहां SiR के फॉर्म अभी तक कई बी एल ओ के पास नहीं पहुंचे हैं और 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म कंप्लीट कर कर निर्वाचन में देना है लेकिन इस प्रक्रिया में निर्वाचन विभाग ने फार्म की प्रिंट अभी तक किसी भी अधिकारी को ढंग से नहीं दी जिसको लेकर आज बाक पंचायत के समाजसेवी शादब पटेल एक आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया जिसमें कहा गया जिसमें कहा गया अभी तक किसी भी पंचायत में SiR के फॉर्म ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाए हैं तो आगे इस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा और जितना लेट निर्वाचन अधिकारी कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि यह काम 4 दिसंबर के पहले पूर्ण नहीं होने वाला है जिसको लेकर आज हम लोग कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए हैं वहीं एसडीएम ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि आज रात तक पूरे फॉर्म सभी जगह पहुंच जाएंगे और कल से इसकी प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी जिससे कि आने वाले समय में किसी को कोई तकलीफ ना हो।

रणजीत टाइम्स

पुलिस कमिश्नर इंदौर ने यातायात जागरूकता रथ का शुभारंभ कर, दिया सभी को नियमों के पालन का संदेश

सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जनजागृति हेतु 04 यातायात जागरूकता रथ करेंगे शहर में भ्रमण डिजिटल स्क्रीन व फ्लैक्स द्वारा सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश, लघु फिल्में और वीडियो क्लिप के माध्यम से किया जाएगा, आमजन को जागरूक

इंदौर- सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आमजन मानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 12.11.25 को तीन नए "यातायात जागरूकता रथ" को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) श्री श्री अमित सिंह तथा पुलिस उपायुक्त (यातायात/जोन4) श्री आनंद कलादगी, पुलिस उपायुक्त (क्राइम) श्री राजेश कुमार त्रिपाठी सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण एवं स्टाफ उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इस जागरूकता रथ का उद्देश्य शहरवासियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। प्रत्येक नागरिक यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

विदित हो कि विगत दिनों पूर्व से ही एक डिजिटल यातायात जागरूकता रथ, शहर में सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागृति कर रहा है। इसी कड़ी में ये नए 03 यातायात जागरूकता रथ मिलकर, शहर के चारों जोन में प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों एवं भीड़भाड़ वाले मार्गों पर भ्रमण करेगा। रथ में लगे डिजिटल स्क्रीन, जागरूकता संदेशों के फ्लैक्स एवं ऑडियो-विजुअल सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश, लघु फिल्में और वीडियो क्लिप दिखाए जाएंगे। सुरक्षित यातायात व नियमों के प्रति जनजागरूकता हेतु इंदौर पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं और इसके प्रति आमजनमानस की भी भागीदारी के लिए "ट्रैफिक प्रहरी अभियान" भी संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब तक 1350 से अधिक जिम्मेदार नागरिक यातायात जागरूकता के कार्य में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में नव निर्वाचित पदाधिकारी. इन्दौर शहर युवा कांग्रेस

निर्वाचित हुये सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।

इंदौर युवा कांग्रेस से वैभव गजरे सन्नी बने युवा कांग्रेस महासचिव

रणजीत टाइम्स

मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के हाल ही में हए संगठन चुनाव में इंदौर शहर युवा कांग्रेस महासचिव पद पर वैभव गजरे (सन्नी) सर्वाधिक मतों से निर्वाचित हुए हैं। उनकी जीत पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से दिग्गज नेता दीपक महेश जोशी,लक्की वर्मा, निलेश पटेल, निलेश सेन,अतित गौहर,सहित कांग्रेसजनों ने बधाई है।

रणजीत टाइम्स कार्यालय

रणजीत टाइम्स के दस वर्ष पूर्ण होने पर मैगज़ीन एवम ऐप्स लांचिंग पर विशेष बैठक

प्रधान संपादक गोपाल जी गावंडे जी के निर्देश पर रणजीत टाइम्स कार्यालय पर बैठक रखी गई जिसमे रणजीत टाइम्स के स्वर्णिम दस वर्ष होने पर मैगजीन एवम रणजीत टाइम्स ऐप्स को ले कर चर्चा की गई जिसमे मुख्य रूप से सह संपादक दीपक जी वाडेकर, सह संपादक आदित्य शर्मा, पत्रकार राजेश जी धाकड़, ख़ुश्बू जी श्रीवास्तव, विवेक सिह,कमलेश मोर्य विशेष रूप से उपस्थित रहे।

नष्टीकरण

आदित्य शर्मा

इंदौर,आबकारी विभाग जिला इंदौर के 15 आबकारी वृत्तों में दिनाक 01 जनवरी 2024 से दिनांक 31 दिसंम्बर 2024 तक, प.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 अंतर्गत, विभिन्न धाराओं में दर्ज कुल 7942 प्रकरणों में जम मंदिरा यथा देशी गदिश, विदेशी मंदिरा स्प्रिंट एवं बीवर, हाथ भट्टी मंदिरा, गहुआ लाहन के संपल, मदिरा विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री, भांग, मुद्देमाल के प्रकरण जिनका सक्षम न्यायालयों से निराकरण हो चुका है एवं अपील अवधि पी समाप्त हो गई है, तथा इस मुद्देमाल का अन्य किसी विचारण न्यायालय को इसकी आवश्यकता नहीं होने से. आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा निर्देशित व्यवस्था के अनुक्रम में कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति क्रमशः ए.डी. एम. महोदय जिला

इंदौर (अध्यक्ष), सहायक आयुक्त आबकारी जिला इंदौर, समस्त संबंधित सहायक जिला आबकारी अधिकारियों एवं आबकारी उपनिरीक्षकों की उपस्थिति में मेसर्स माउण्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमि, नेमदीग्राम, सिमरोल, महू, जिला इंदौर के परिसर में नष्टहीकरण की कार्यवाही की गई है। जिले के सभी 15 वृत्तो से प्राप्त सूची अनुसार, कुल 7553.74 बल्क लीटर देशी मदिरा, 1403.16 बल्क लीटर विदेशी मदिरा स्प्रिट, 2298.4 बल्क लीटर विदेशी मदिरा माल्ट, 29420 बल्क लीटर हाथ पट्टी मदिरा, महुआ लाहन के सैंपल, एवं 450 कि.ग्रा. भांग का, मेसर्स माउण्ट एयरेस्ट ब्रेवरीज लिमि, मेमदीग्राम, सिंगरौल, मह, जिला इंदौर के परिसर में विधिवत नष्टीकरण किया गया। उक्त समस्त मदिरा एवं अन्य सामग्री का अनुमानित मूल्य रूपये 2,20,93,574/- है। कार्यवाही में गठित नष्टीकरण समिति एवं जिले का कार्यपालिक बल उपस्थित रहा। उक्त कार्यवाही की विधिवत वीडियोग्राफी कराई गई।

इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना हेलमेट 1351 वाहन चालकों पर कार्यवाही

29 पुलिसकर्मियों पर भी बिना हेलमेट वाहन चलाने पर हुआ जुर्माना

आदित्य शर्मा

सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोटों से होने वाली मौतों को रोकने तथा नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध निरंतर जागरूकता एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कुल 1351 दोपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध चालान कार्रवाई की गई जो बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए गए जिनमे से 29 पुलिस कर्मियों पर भी बिना हेलमेट वाहन चलाने पर कार्रवाई की गई। इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा हेतु हेलमेट का सदैव उपयोग करें, क्योंकि सड़क पर सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदारों से ठगी करने वाले युवक-युवती गिरफ्तार- थाना कोतवाली पुलिस की प्रभावी कार्यवाह

दीपक वाड़ेकर

इंस्टाग्राम पर रील देखकर बनाई थी योजना

देवास दिनांक 05.11.2025 को फरियादी दिलीप पिता शिवनारायण सोनी (उम्र 60 वर्ष), निवासी 132 हेबतराव मार्ग, देवास, जो रत्नराज ज्वेलर्स, नावेल्टी चौराहा, एम.जी. रोड, देवास पर ज्वेलरी की दुकान संचालित करते हैं, ने थाना कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। फरियादी के अनुसार, दिनांक 04.11.2025 को शाम लगभग 06 बजे एक युवक और युवती मोटरसाइकिल से दुकान पर आए और एक चांदी की पायल तथा दो चांदी की अंगूठियाँ (कुल कीमत 6,700) खरीदीं। दोनों ने दुकान पर लगे PhonePe QR कोड से पेमेंट करने का दावा किया और फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाया।

जब फरियादी ने जांच की, तो कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। महिला से मोबाइल नंबर पूछने पर उसने 7879467664 बताया, जिस पर कॉल करने पर रिंग जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद दोनों जल्दबाजी में दुकान से निकल गए। जांच में पता चला कि इसी युवक-युवती ने नावेल्टी चौराहा स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान से भी 18,500 मूल्य का LED TV खरीदा था और वहीं भी फर्जी PhonePe स्क्रीनशॉट दिखाकर ठगी की थी। इस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 815/05.11.2025, धारा 318(4), 3(5) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद ने आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित एवं सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री सुमित अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री श्यामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने "ऑपरेशन त्रिनेत्रम" के तहत तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य एवं जनसहयोग से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की और दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखकर ठगी की यह योजना बनाई थी।

गिरफ्तार आरोपी

1 दीपक वर्मा पिता दिनेश वर्मा (उम्र 27 वर्ष), निवासी ग्राम गदईशा पिपलिया, जिला देवास 2 एक महिला आरोपी (नाम गोपनीय)

जप्त मशरूका

एक चांदी की पायल एवं दो चांदी की अंगूठियाँ – 6,700/- एक LED TV – 18,500/- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (HF Deluxe) – 80,000/-

कुल मशरूका मूल्य

1,05,200/- सराहनीय कार्यः इस सफल कार्रवाई में निरीक्षक श्री श्यामचन्द्र शर्मा, उपनिरीक्षक जितेन्द्र यादव, प्रधान आरक्षक मनोज पटेल, जितेन्द्र पटेल, आरक्षक सुजीत, नवीन, वैभव, मनीष, महिला आरक्षक स्वाति, तथा सायबर सेल टीम के प्रधान आरक्षक सचिन चौहान एवं शिवप्रताप सिंह सेंगर की सराहनीय भूमिका रही।

मुस्कान अभियान के तहत नशे के दुष्परिणामों की दी जानकारी नशे की हालत में वाहन ना चलने की दी समजाईश

पत्रकार खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। 12 नम्बर 2025 को वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से मुस्कान अभियान के थाना परदेसीपुरा क्षेत्र के नन्दा नगर के कोचिंग मिरेकल सांइस एण्ड कॉमर्स इंस्टिट्यूट में थाना प्रभारी आर डी कानवा उपनिरीक्षक दुर्गा सूर्यवंशी स उनि रेखा कनासिया प्रधान आरक्षक जीशान खान प्रधान रक्षक सतनारायण के छात्र छात्राओं की मीटिंग ली गई जिसमें नशे के दुष्परिणामों के संबंध जानकारी दी गई नशे की हालत में वाहन ना चलने एवं धारदार हथियार ना रखने हेतु प्रेरित किया एवं मोहल्ले में होने वाली अवैध गतिविधि की सूचना देने संबंध में जानकारी दी गई पुलिस के इमरजेंसी 112,1930,1098 नंबरों के बारे में बताया गया श्रीमान जी।

विशेष गहन पुनिरीक्षण SIR के तहत कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने किया औचक निरीक्षण

दिलीप पाटीदार

सरदारपुर - विशेष गहन पुनिरीक्षण (SIR) के तहत कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने आज राजगढ़ के संजय कॉलोनी में सघन दौरा करते हुए BLO को दिए निर्देश और कहा कि समय से सभी कार्य संपादित किया जावे तथा जो गाइड लाइन दी है उन गाइड लाइन का पालन कर SIR के क्रम को समय सीमा में पूर्ण किया जावे।

कथा कलेक्टर महोदय ने सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों से उनके द्वारा बनाए गए बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से हमारे BLO की सहायता करने की अपील की उक्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अश्वनी दीक्षित ने बताया कि कलेक्टर महोदय के द्वारा मतदाता सूची का अवलोकन भी किया गया तथा बीएलओ को बताया कि 2003 के मतदाता सूची से मिलान कर आगे की कार्रवाई की जावे. बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक दिया जाएगा जिसको समय सीमा में भरकर BLO को वापस किया जावे इस अवसर पर अनुविभागी अधिकारी राजस्व क्षेत्र सरदारपुर सुश्री सलोनी अग्रवाल , श्री मुकेश बामनिया तहसीलदार सरदारपुर एवं संबंधित बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

करैरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

41 पेटी शराब और बोलेरो जब्त

रणजीत टाइम्स

करैरा – करैरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 41 पेटी देशी व अंग्रेजी शराब और एक बोलेरो कार (एमपी 04 बीसी 6140) जब्त की। कुल मशरूका की कीमत 6,55,000 आंकी गई है मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने श्री रामराजा धर्मकांटा के पास छापा मारा। आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह लोधी (23 वर्ष, निवासी बडौरा, करैरा) को गिरफ्तार किया गया। उसके पास शराब रखने या परिवहन का कोई लाइसेन्स नहीं मिला पुलिस ने अपराध क्रमांक 780/25 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत किया मामला दर्ज।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के आतिथ्य में सरदारपुर में कपास की उन्नत किस्मों पर बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसानों को मिला आधुनिक खेती का ज्ञान

धार। जिले के ग्राम कुमारउंडी, विकासखंड सरदारपुर में बुधवार को कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धार कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यशाला का आयोजन साइमा कॉटन डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन, कोयंबटूर (तमिलनाडु) द्वारा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-कपास (एनएफएसएम) के अंतर्गत किया गया। कलेक्टर श्री मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से क्षेत्र के किसानों के लिए कपास उत्पादन के क्षेत्र में नए अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अब कपास के रकबे और उत्पादन दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाली लंबी रेशे की कपास किस्में अपनाना और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि बदलते मौसम को देखते हुए किसानों को फसलों में उचित बदलाव करना चाहिए, ताकि विपरीत मौसम से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों को निर्देश दिए कि आगामी खरीफ सीजन से पहले कपास की उन्नत उत्पादन तकनीक पर किसानों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि साइमा कॉटन एसोसिएशन के सहयोग से क्लस्टर स्तरीय प्रदर्शन, स्व-सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों को जोड़कर कपास की नई तकनीकें किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। उप संचालक कृषि श्री ज्ञानसिंह मोहनिया ने बताया कि एनएफएसएम योजना के तहत जिले में लंबे रेशे और अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास की उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे जिले

में कपास के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के प्रचार-प्रसार से किसान अधिक मुनाफा कमा सकेंगे।

साइमा कॉटन विकास अनुसंधान एसोसिएशन की सचिव और मुख्य कॉटन प्रजनक डॉ. एम. आशारानी ने कहा कि साइमा देश का एकमात्र गैर-सरकारी संगठन है जो उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा संचालित है और कपास उत्पादक किसानों को विविध सेवाएं प्रदान करता है। उनका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली कपास किस्मों की खेती के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर के पूर्व निदेशक डॉ. वाई.जी. प्रसाद ने किसानों को कपास की फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और उत्पादन तकनीक की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र धार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. संदीप चौहान ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और संतुलित उर्वरक उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी। साइमा कॉटन के अधिकारी श्री मधुबाबु ने कपास की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई और किसानों को उनके गुण-दोष समझाए। वहीं विपणन सलाहकार श्री दिनेश गुप्ता ने कहा कि साइमा का उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीक से जोड़कर उत्तम गुणवत्ता के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि किसान भाइयों की आय में वृद्धि हो।

कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा और एसडीओ राजस्व सुश्री सलोनी अग्रवाल ने किसानों से सीधा संवाद किया। स्थानीय किसान श्री मुन्नालाल और श्री मडु भाई ने साइमा द्वारा उपलब्ध कराई गई कपास की किस्मों के अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद अधिकारियों ने श्री मुन्नालाल के खेत में कपास की "सुरक्षा" और "शक्ति बीटी" किस्मों के फसल प्रदर्शन का अवलोकन किया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, कृषि आदान विक्रेता और जिले के करीब 200 से अधिक कपास उत्पादक किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व कृषि विस्तार अधिकारी श्री डी.के. उपाध्याय ने किया और आभार प्रदर्शन सहायक संचालक कृषि श्रीमती संगीता तोमर द्वारा किया गया।

इंदौर आरटीओ में भ्रष्टाचार का खुला खेल

लाइसेंस की सरकारी फीस 1074, वसूली 5000 तक! क्लर्क बना किंगपिन, अफसरों की चुप्पी पर उठे सवाल

इंदौर। आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार की परतें एक बार फिर खुलकर सामने आई हैं। यहां जनता से लाइसेंस बनवाने के नाम पर खुलेआम वसूली की जा रही है। जहां सरकारी शुल्क मात्र 1074 रुपये है, वहीं लोगों से 3 से 5 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यह हाल तब है जब पूरा सिस्टम ऑनलाइन बताया जाता है, लेकिन असलियत यह है कि बिना रिश्वत दिए किसी की फाइल आगे नहीं बढ़ती। आरटीओ दफ्तर का नियंत्रण अब अफसरों के नहीं बल्कि क्लर्कों के हाथ में है। सूत्रों के अनुसार, क्लर्क गौतम बाबू और उनका नेटवर्क इस भ्रष्ट व्यवस्था का असली सूत्रधार है। कुछ समय पहले नकली लाइसेंस मामले में पकड़े जाने के बाद भी वह अब पर्दे के पीछे से पूरा सिस्टम संचालित कर रहा है। बताया जा रहा है कि उसने कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले युवकों को लाइसेंस वसूली के काम में लगा रखा है, जिनमें कई ऐसे हैं जो पहले जेल जा चुके हैं।

जानकारी के अनुसार, लाइसेंस संबंधी कार्य भले ही ठेके पर दे दिया गया हो, लेकिन यह ठेका भी कथित तौर पर आरटीओ के ही एक अधिकारी से जुड़ा हुआ है। एजेंटों के बिना किसी फाइल का आगे बढ़ना नामुमकिन है। कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं आते, और अफसर इस पूरी व्यवस्था से बेखबर या फिर अनदेखी करते हुए नजर आते हैं। सुबह साढ़े नौ बजे खुलने वाला कार्यालय दोपहर तक लगभग सूना रहता है। जब आरटीओ प्रदीप शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। वहीं एआरटीओ अर्चना मिश्रा से संपर्क किया गया तो कर्मचारियों ने बताया कि वह तबीयत खराब होने के कारण दफ्तर नहीं आई हैं। इसी बीच गौतम बाबू से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके फोन या तो बंद थे या गलत नंबर बता रहे थे। सवाल यह उठता है कि आखिर एक क्लर्क के पास इतने मोबाइल नंबर क्यों हैं - क्या यह जांच से बचने का तरीका है? गौतम बाबू का कहना है कि लाइसेंस का काम उनके अधीन नहीं है और वह सिर्फ कबड्डी क्लब से जुड़े हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आज भी वही इस पूरे भ्रष्ट नेटवर्क के मुखिया बने हुए हैं। उनके अधीन काम करने वाले एजेंट लोगों से पैसे वसूलकर हर फाइल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इंदौर आरटीओ में भ्रष्टाचार का यह खेल अब किसी रहस्य से कम नहीं रह गया है। कार्रवाई की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। जनता ठगी जा रही है, अफसर आंख मूंदे बैठे हैं, और क्लर्कों का साम्राज्य दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस भ्रष्ट सिस्टम पर अब कोई सख्त कदम उठाएगी या फिर इंदौर आरटीओ भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर यूं ही चलता रहेगा? जनता जवाब चाहती है और सिस्टम फिलहाल खामोश है।

400 केवी सब स्टेशन इंदौर में घुसा तेंदुआ, ट्रांसको टीम ने दिखाया साहस और सूझबूझ, बड़ा हादसा टला

इंदौर। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के 400 केवी सब स्टेशन इंदौर में अर्धरात्रि के समय उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक तेंदुआ परिसर में घुस आया। घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों ने अदम्य साहस, सतर्कता और टीमवर्क का परिचय देते हुए न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि एक बड़ी दुर्घटना को भी टाल दिया। ट्रांसको कर्मियों की सूझबूझ और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से तेंदुए को सकुशल पकड़ लिया गया। घटना की शुरुआत तब हुई जब आउटसोर्सिंग सुरक्षा गार्ड कृष्णा बघेला, सूरज मोहनिया और मेंटेनेंस टीम के सदस्य श्री राम अभिलाष ने यार्ड क्षेत्र में तेंदुए को देखा। उन्होंने बिना किसी घबराहट के तुरंत सबस्टेशन की ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस टीम को सूचना दी। कर्मियों ने सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और किसी प्रकार की अफरा-तफरी नहीं होने दी। तत्काल बाद में परीक्षण परिचारक के.के. मिश्रा ने वन विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सबस्टेशन यार्ड में अस्थायी पिंजरा लगाकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद तेंदुए को बिना किसी हानि के सुरक्षित रूप से पकड़ लिया गया और बाद में वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया।

इस पूरी घटना में किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। आउटसोर्स कर्मियों के साथ परीक्षण परिचारक के.के. मिश्रा, सहायक अभियंता अतुल पराड़कर, कार्यपालन अभियंता श्रीमती नूतन शर्मा और अधीक्षण अभियंता जयेश चोपड़ा की सक्रिय भूमिका रही। एमपी ट्रांसको के प्रबंध संचालक ने सभी कर्मियों की सतर्कता, साहस और मानवता की भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह घटना ट्रांसको कर्मियों की कार्यकुशलता और दायित्व निभाने की क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रबंधन ने घोषणा की है कि इस सराहनीय कार्य के लिए सभी संबंधित कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा।

थाना द्वारकापुरी पुलिस ने दो ठगों को पकड़ा, 35 लाख का 325 ग्राम सोना बरामद

इंदौर। थाना द्वारकापुरी पुलिस ने सोने की ज्वेलरी से जुड़ी धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 325 ग्राम सोना, कीमत लगभग 35 लाख, बरामद किया गया है। घटना 8 नवंबर 2025 की है, जब जनेश्वर ज्वेलर्स, अहमदाबाद के सेल्समैन रमेश कुमार कांची इंदौर के कथित स्वर्णकार ज्वेलर्स को सोने के जेवर देने पहुंचे थे। दुकान संचालक ने जेवर लेकर आरटीजीएस से भुगतान करने का आश्वासन दिया, पर कुछ देर बाद फोन बंद कर फरार हो गया। शिकायत पर थाना द्वारकापुरी में अपराध क्रमांक 553/25, धारा 316(2), 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपीगण – शशांक सोनी (35) निवासी महोबा, उत्तर प्रदेश और राहुल सोनी (29) निवासी सनसिटी कॉलोनी, उतरपुर – पहले से ज्वेलरी व्यापार में अनुभव रखते हैं। उन्होंने योजना के तहत द्वारकापुरी क्षेत्र में किराए पर दुकान लेकर स्वर्णकार ज्वेलर्स का बोर्ड लगाया और नकली सेटअप तैयार किया। अहमदाबाद के ज्वेलर से ?50,000 एडवांस देकर करीब 350 ग्राम सोने का ऑर्डर बुक कराया। जब सेल्समैन ज्वेलरी लेकर आया, तो उन्होंने मोबाइल ट्रांजैक्शन का नाटक किया और आरटीजीएस के बहाने बैंक बुलाकर सोने सहित फरार हो गए। टीआई मनीष मिश्र के नेतृत्व में टीम – कमलेश डाबर, अरुण जाट, अनुराग सिकरवार और कृष्णचंद शर्मा – ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार किया।

सब्जी मंडी अध्यक्ष की दरिंदगी उजागर! 90 साल की मां पर किया हमला, कलेक्टर आदेश की उड़ाई धज्जियां, अब वारंट की कार्रवाई शुरू

इंदौर। शहर के राजकुमार मिल क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां सब्जी मंडी अध्यक्ष शेखर कुशवाह पर अपनी ही 90 वर्षीय मां और भाई पर हमला करने का आरोप लगा है। बुजुर्ग मां शकुनबाई कुशवाह ने बेटे की करतूतों के वीडियो फुटेज लेकर कलेक्टर जनसुनवाई में हाजिरी दी, जहां उसकी दरिंदगी के फुटेज देखकर कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी भी हैरान रह गए।

बिजली की लाइन काटकर कैमरों को किया बंद- शेखर कुशवाह पर आरोप है कि उसने बिजली की लाइन काटकर कैमरों को बंद किया, ताकि उसकी हरकतें रिकॉर्ड न हों। इसके बाद उसने मां और भाई पर अश्लील गालियां देते हुए जानलेवा हमला कर दिया। 90 वर्षीय मां ने बेटे की करतूतें मोबाइल में कैद कर लीं, जो अब कलेक्टर के पास सबूत के रूप में मौजूद हैं।

कलेक्टर का आदेश मानने से इनकार, वारंट की तैयारी शुरू- कलेक्टर ने पहले ही शेखर कुशवाह को मां के भरण-पोषण के लिए हर महीने 5000 रुपए देने का आदेश दिया था। लेकिन उसने न तो आदेश माना और न ही एक पैसा दिया। उल्टा, एसडीएम का फोन काटकर मोबाइल बंद कर लिया। अब कलेक्टर कार्यालय ने आदेश की अवहेलना पर वारंट जारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी है और एमआईजी थाना पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

'मुझे घर से निकालना चाहता है बेटा'- बेवा मां शकुनबाई कुशवाह का कहना है कि पति के निधन के बाद से बेटा शेखर मुझे और मेरे छोटे बेटे को घर से निकालने पर तुला है। बिजली-पानी बंद कर देता है, गालियां देता है, पैसे नहीं देता। 27 कमरों का किराया वसूलता है, लेकिन मुझे एक रुपया नहीं देता।

ऐसा बेटा जेल जाएगा!- हाईकोर्ट एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि यदि कोई बीटा कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं करता, तो भरण-पोषण अधिनियम 2007 की धारा 25 के तहत उस पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जा सकता है। वहीं अधिवक्ता डॉ. रूपाली राठौर ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक की उपेक्षा या परित्याग करने पर तीन महीने की जेल और पाँच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

पुलिस भी सक्रिय, एफआईआर दर्ज, वारंट की प्रक्रिया तेज- एमआईजी थाना पुलिस ने शेखर कुशवाह, उसकी पत्नी और बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब कलेक्टर कार्यालय ने वारंट जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

एक तरफ सब्जी मंडी का अध्यक्ष, दूसरी तरफ मां का दुश्मन - 90 साल की बुजुर्ग मां का दर्द सुनकर पूरा प्रशासन हक्का-बक्का हो गया है। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना अब शेखर कुशवाह को सीधा जेल के रास्ते तक ले जा सकती है।

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की प्रभावी कार्यवाही — 14 होटल मकान एवं व्यवसाय मालिकों पर की गई वैधानिक कार्रवाई

इंदौर। इंदौर में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में होटल, धर्मशाला, लॉज, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी हेतु विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बाहर से आकर रहने वाले कामगारों, श्रमिकों, नौकरों, होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों तथा किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में 11 नवंबर 2025 को चलाए गए अभियान के दौरान इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने जानकारी न देने वाले 14 मकान, व्यवसाय व होटल/हॉस्टल संचालकों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223 और 233(ए) के तहत कार्रवाई की। जिनमें – थाना मल्हारगंज क्षेत्र के 2 मकान मालिक गुलरेज खान और असीत समंता, थाना गांधीनगर क्षेत्र की द्रोपदी बाई देलवार, थाना एमजी रोड क्षेत्र के भारत चौरसिया और जगदीश जोशी, थाना बाणगंगा क्षेत्र के ओमप्रकाश वर्मा, तथा थाना चंदन नगर क्षेत्र के मोहम्मद शाबीर शामिल हैं।

व्यवसाय मालिकों में थाना एरोड्रम के राम भरोसे धनगर, थाना रावजी बाजार के आवेश अंसारी, और थाना भंवरकुआं क्षेत्र के गोरेश उधमदासनी व विवेक पाहुजा के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं, होटल संचालकों में थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र के योगेश मालवीय व शुभम मिश्रा, तथा थाना गांधीनगर क्षेत्र के राहुल योगी पर भी कार्यवाही की गई।

पुलिस आयुक्त ने दोहराया कि मकान, होटल, लॉज, हॉस्टल या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ठहरने या काम करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में देना सभी के लिए अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।

इंदौर पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे सुरक्षा के मद्देनज़र अपने किरायेदारों, कामगारों व ठहरने वालों की सूचना अनिवार्य रूप से थाने में दर्ज कराएं।

चुनाव आयोग से करेगी शिकायत, जीतू पटवारी बोले - एक भी वोट नहीं काटने देंगे, भाजपा के षड्यंत्र का करेंगे अंत

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में एसआईआर के तहत चल रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पर गंभीर चर्चा की गई और तय किया गया कि कांग्रेस इस पूरे मामले में पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से काम करेगी। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एसआईआर को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। मतदान क्षेत्र अधिकारी (बीएलओ) घर-घर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कई लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब होने का खतरा है। उन्होंने बताया कि करीब 70 प्रतिशत शिकायतें बीएलओ और अधिकारियों के गैर-जिम्मेदार रवैये को लेकर हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक पांच बार चुनाव आयोग से शिकायत कर चुकी है, लेकिन सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पटवारी ने कहा कि पार्टी अब चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत करेगी और इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कोई भी वैध मतदाता सूची से बाहर न हो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से

मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी हालत में एक भी वोट नहीं काटने देगी। उन्होंने कहा कि यह जनादेश से छेड़छाड़ का षड्यंत्र है, जिसे कांग्रेस पूरी तरह समाप्त करेगी। इसके लिए सभी जिलों में अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया जाएगा। पटवारी ने बताया कि पार्टी ने विधानसभा स्तर पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, विकासखंड स्तर पर एक हजार से अधिक कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं और सभी को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया को मजबूती से संभाला जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2003 और 2024 की मतदाता सूचियां सभी दस्तावेजों सहित मांगी हैं, ताकि किसी भी स्तर पर गलतफहमी या हेराफेरी की गुंजाइश न रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस मामले में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आयोग को निष्पक्षता के साथ एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में आयोग की वेबसाइट पर मतदाता खोज की सुविधा तक बंद है, जिससे आम मतदाता अपने नाम की पुष्टि नहीं कर पा रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयोग ही गड़बड़ी कर रहा है, तो आम नागरिक अपने नाम कैसे जोड़ या सुधार पाएंगे। सिंघार ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से मतदाता सूची से लाखों नाम काटने की साजिश है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आयोग से औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। यदि मतदाता सूची से नामों की कटौती या किसी भी प्रकार की हेराफेरी की कोशिश की गई तो कांग्रेस सड़क से लेकर आयोग तक संघर्ष करेगी। पार्टी ने तय किया है कि राज्य के सभी जिलों और विकास खंडों में जन-जागरण अभियान चलाकर जनता को उनके मताधिकार की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा।

ट्रेन के टॉयलेट में लिखी धमकी से मचा हड़कंप - 'रेल धमाका-आईएसआईएस और पाकिस्तान जिंदाबाद' के शब्दों से अलर्ट पर पहुंची पुलिस टीम

जांच के बाद मिला यात्री का सूटकेस और भगवद गीता

नर्मदापुरम। देश में हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से जहां पूरे देश में दहशत का माहौल है, वहीं बुधवार दोपहर मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर भी अफरातफरी मच गई। महानगरी एक्सप्रेस के टॉयलेट में किसी अज्ञात व्यक्ति ने 'रेल धमाका', 'आईएसआईएस जिंदाबाद' और 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसी धमकी भरी बातें लिख दीं, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। तुरंत रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, सिटी पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंच गई। यह घटना उस समय सामने आई जब महानगरी एक्सप्रेस (संख्या 22177) इटारसी जंक्शन पहुंची। सूचना मिलते ही ट्रेन को प्लेटफार्म पर रोका गया और हर बोगी की बारीकी से जांच की गई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे कोच की तलाशी ली ताकि किसी तरह का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु न छूट जाए। इस दौरान यात्रियों को भी थोड़ी देर के लिए ट्रेन से नीचे उतारा गया और पूरा स्टेशन सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। जांच के दौरान एसी कोच बी-1 में एक लाल रंग का लावारिस सूटकेस मिला, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। बम निरोधक दस्ते ने सूटकेस को सावधानीपूर्वक खोला तो उसमें केवल कपड़े और एक भगवद गीता निकली। जांच में यह बात सामने आई कि यह सूटकेस एक यात्री का छूटा हुआ सामान था। पुलिस ने यात्री से संपर्क किया और उसने बताया कि वह अपना सामान लेने के लिए इटारसी लौट रहा है। जीआरपी चौकी प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि ट्रेन के हर कोच की जांच की गई लेकिन जनरल कोच के बाथरूम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा सोशल मीडिया पर फैलाया गया था। कुछ भड़काऊ शब्दों वाले चित्र जरूर मिले थे, पर संभव है कि उन्हें किसी ने रास्ते में मिटा दिया हो या वे स्वयं मिट गए हों। चौकसे ने कहा कि यह हरकत किसी शरारती तत्व की लगती है जो समाज में अफवाह और डर का माहौल बनाना चाहता था। पूरी जांच के बाद ट्रेन को दोपहर 12 बजकर 58 मिनट पर केवल आठ मिनट की देरी से पिपरिया होते हुए वाराणसी के लिए रवाना किया गया। घटना के बाद रेलवे और जिला प्रशासन ने पूरे नर्मदापुरम जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, बस स्टैंड और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर विशेष नजर रखी जा रही है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और देशभर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जांच व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक से किया इनकार, मानहानि मामले में मुश्किलें बढ़ीं

जबलपुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी को आज हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। भोपाल की एमपी-एमएलए विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पूरा मामला साल 2020 का है। बताया जाता है कि 29 नवंबर 2020 को कोलकाता में एक सार्वजनिक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण में भाजपा नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इस बयान से आहत होकर आकाश विजयवर्गीय ने साल 2021 में भोपाल की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत में इस मामले की सुनवाई 2021 से जारी है। हालांकि अभिषेक बनर्जी अब तक किसी भी सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए हैं। इसी गैरहाजिरी के चलते भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हाल ही में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अभिषेक ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि गिरफ्तारी वारंट पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद यह मामला अब और गंभीर हो गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही अभिषेक बनर्जी को अदालत में पेश होना पड़ सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक और तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि न्याय की प्रक्रिया अपना काम कर रही है और कानून सबके लिए समान है। अब आगे इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

हॉस्टल से गिरा एमबीबीएस छात्र, इंटरनल ब्लीडिंग, ऑर्गन डैमेज से मौत

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में संदिग्ध हालात में हॉस्टल की बिल्डिंग से गिरकर मेडिकल स्टूडेंट की मौत के मामले में पुलिस को शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिल गई है। एमबीबीएस स्टूडेंट की कोहनी में चोट है। पीठ के बल गिरने से पेट में गंभीर चोट लगी, जिससे लिवर सहित मल्टी ऑर्गन डैमेज हुआ और इंटरनल ब्लीडिंग उसकी मौत की वजह बनी है। जहां से वह गिरा, वहीं उसका मोबाइल रखा मिला है, जिससे यह माना जा रहा है कि वह हादसे का शिकार हुआ है। घटना से पांच मिनट पहले वह रूम पार्टनर (प्रवीण सहरिया) से मिलकर गया था और बोला था- अभी आता हूं। यह भी पता लगा है कि मृतक को अभी कोई रूम अलॉट नहीं हुआ था, वह अघोषित रूप से रह रहा था। यदि वह कूदता तो उसका मोबाइल उसके साथ होता। अब मृतक का मोबाइल पुलिस के पास है, जिसे अनलॉक कर पुलिस किसी गर्लफ्रेंड की आशंका को दूर करने की कोशिश कर रही है।

ममलेश्वर लोक' प्रोजेक्ट पर बवाल-120 करोड़ की योजना से ओंकारेश्वर में असंतोष

संत समाज बोला: तीर्थ का विकास श्रद्धा से हो, विनाश से नहीं

ओंकारेश्वर। मां नर्मदा के पवित्र तट पर बसी ओंकारेश्वर तीर्थनगरी इन दिनों एक बड़े विवाद के केंद्र में है। भक्ति, संत परंपरा और आध्यात्मिक शांति के लिए जानी जाने वाली यह नगरी अब ममलेश्वर लोक नामक 120 करोड़ रुपए की परियोजना को लेकर चर्चा में है। इस परियोजना के तहत ब्रह्मपुरी बस्ती के सैकड़ों परिवारों को विस्थापन का डर सता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह योजना मौजूदा स्वरूप में लागू हुई, तो सैकड़ों घर, दुकानें, धर्मशालाएं और प्राचीन आश्रम उजड़ जाएंगे।

संत समाज और जनप्रतिनिधियों की एकजुट अपील- जैसे-जैसे विरोध बढ़ा, वैसे-वैसे यह मामला शासन के दरवाजे तक पहुंच गया। ओंकारेश्वर के विधायक नारायण पटेल, ओंकारेश्वर षट् दर्शन संत मंडल के अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी महाराज सहित संत समाज और जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर आग्रह किया कि परियोजना का स्थान बदला जाए और किसी भी तरह से तीर्थ की परंपरा और बस्ती को नुकसान न पहुंचे। विधायक नारायण पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। मुख्य सचिव को भी इस मामले में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। नगर भाजपा अध्यक्ष संतोष वर्मा और पार्षद दिनेश पेंटर ने कहा कि यह संघर्ष किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि जनभावना की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा, जो बस्ती भगवान शिव की छाया में बसती है, उसे उजाड़कर कोई नया लोक नहीं बस सकता।

सर्वे पर लगी रोक, वार्ता के बाद सरकार ने लिया फैसला- प्रशासन ने सोमवार को परियोजना का सर्वे शुरू किया था, लेकिन मंगलवार को बढ़ते विरोध और भोपाल में हुई वार्ता के बाद सर्वे कार्य को फिलहाल रोक दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा जिला प्रशासन और संत समाज के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि पहले स्थानीय लोगों की आपत्तियां सुनी जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन और संत समाज मिलकर वैकल्पिक स्थल की संभावनाओं पर चर्चा करें।

ओंकारेश्वर की 'त्रिपुरी' पहचान पर संकट?- ओंकारेश्वर का धार्मिक महत्व इस बात में निहित है कि यह ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी के त्रिकोण पर स्थित है। स्थानीय विद्वानों का कहना है कि अगर ब्रह्मपुरी क्षेत्र का हिस्सा उजाड़ा गया, तो ओंकारेश्वर का यह 'त्रिदेव स्वरूप' अधूरा रह जाएगा। संत समाज का कहना है कि यह विवाद केवल जमीन का नहीं, बल्कि इस तीर्थ की आत्मा का सवाल है। ओंकारेश्वर की जनता और संत समाज का एक ही संदेश है -विकास हो, लेकिन श्रद्धा के साथ। तीर्थ की आत्मा को उजाड़कर नहीं, उसे संवारकर आगे बढ़ाया जाए।

डिप्टी कलेक्टर के बंगले में बड़ी चोरी- सोने चांदी के जेवर और कीमती घड़ियां ले गए चोर, पति के इलाज के लिए केरल गई थीं अलका सिंह

भोपाल। राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वीवीआईपी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के सरकारी बंगले में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ। चोर बंगले से सोने-चांदी के सभी कीमती जेवर और कई महंगी घड़ियां समेट कर फरार हो गए। घटना उस वक्त हुई जब डिप्टी कलेक्टर अपने पति का इलाज कराने के लिए केरल गई हुई थीं। जानकारी के अनुसार, यह पूरी वारदात हबीबगंज थाना क्षेत्र के चार इमली इलाके की है, जो भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। पुलिस के मुताबिक, चोरों ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। बंगले का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और आलमारी में रखे गहनों और कीमती वस्तुओं को समेटकर फरार हो गए। अलका सिंह जब अपने पति के इलाज से लौटकर भोपाल पहुंचीं और बंगले में दाखिल हुईं, तब उन्हें पूरे घर का सामान बिखरा हुआ मिला। जांच में पता चला कि चोर जेवरों के साथ-साथ कई कीमती घड़ियां भी अपने साथ ले गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों के साथ सबूत इकट्ठा किए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि चोरी का समय वही था जब बंगले में कोई मौजूद नहीं था, जिससे अंदेशा है कि चोरों को डिप्टी कलेक्टर की अनुपस्थिति की पूरी जानकारी थी। चार इमली क्षेत्र में इस तरह की आपराधिक वारदातें पहले भी सामने आ चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इतना सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं होना यह दर्शाता है कि सुरक्षा तंत्र में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। अब पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब वीवीआईपी इलाका ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं।

बिहार चुनाव के बाद अब बीएमसी पर नजर

बीजेपी ने मुंबई यूनिट में नियुक्त किए 4 नए महासचिव

मुंबई (एजेंसी)। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अब अपना फोकस अगले साल होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव पर केंद्रित कर दिया है। इसी सिलसिले में पार्टी ने वहां बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। राज्य की सत्ता में भी काबिज भाजपा ने मुंबई इकाई में चार नए महासचिव नियुक्त किए हैं। दिन लोगों को महासचिव बनाया गया है, उनमें राजेश शिरवाडकर, गणेश खापरकर, आचार्य पवन त्रिपाठी और श्वेता पारुलेकर शामिल हैं। ये नियुक्तियां भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष और विधायक अमीत साटम ने की हैं। बता दें कि जनवरी 2026 में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। सभी दलों ने इसकी तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी हैं। राज्य का सत्ताधारी गठबंधन महायुति मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है।

आतंकियों के निशाने पर था लखनऊ शहर

बम नहीं बल्कि 'जहर' का होना था इस्तेमाल

लखनऊ (एजेंसी)। दिल्ली आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई हैं। देशभर में खुफिया एजेंसियां अब हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई हैं। इस बीच जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक, आतंकियों का असली निशाना दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थी। दिल्ली धमाके की आड़ में आतंकियों ने लखनऊ में बड़ा जैविक हमला करने की साजिश रची थी। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने बीते दिनों तीन संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए थे, जिसमें दो यूपी और एक हैदराबाद का निवासी है। इनसे पूछताछ में बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है।

- **लखनऊ की कई जगहों की रेकी हुई–** गुजरात एटीएस के मुताबिक, एजेंसी बीते एक साल से इन संदिग्धों पर नजर रखे हुए थी। 9 नवंबर को अहमदाबाद के पास आदलज टोल प्लाजा के निकट तीन संदिग्धों को संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हैदराबाद निवासी डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद और यूपी निवासी मोहम्मद सुहेल सलीम खान व आजाद सुलेमान शेख के रूप में हुई है। मोहम्मद सुहेल सलीम खान लखीमपुर खीरी और आजाद सुलेमान शेख शामली का था।